

29.11.21

पत्रावली पेश। वकील वारी उपस्थित। अंति  
वकील वारी ने यह वाद पत्र जोर प्रेम  
के आधार पर खारिज करवाने का निवेदन  
किया। पक्षकर्ता का आपस में जलीना  
हो जाने से कारण यह वाद पत्र जोर प्रेम के  
आधार पर शीघ्र त्वर पर खारिज किया  
जाय है। पत्रावली के सब बुझा होकर  
नाबर से कम हो।

  
(अशिलादा)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना